कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकरिता उ0 प्र0

परिपत्र सी–44/अधि0 अर्बन बैंक/ओ0टी0एस0 दिनांकः लखनऊ 15 सितम्बर, 2015

समस्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
नगरीय/प्राइमरी सहकारी बैंक लि0
उ0प्र0।

विषय– प्रदेश के नगरीय सहकारी बैंकों में लागू एक मुश्त समझौता योजना हेतु निर्गत परिपत्र संख्या सी–108/अधि0–अर्बन बैंक/ओ0टी0एस0 दिनांक 18.12.2014 की अवधि विस्तारित किये जाने विषयक।

प्रदेश में कार्यरत नगरीय सहकारी बैंकों की पुरानी अनर्जक आस्तियों एवं कालातीत ऋणों की वसूली हेतु कार्यालय परिपत्र संख्या सी–108/अधि0–अर्बन बैंक/ओ0टी0एस0 दिनांक 18.12.2014 द्वारा एक मुश्त समझौता योजना लागू की गयी थी। जिसके अनुसार एकमुश्त समझौता के प्रस्ताव प्राप्त करने की तिथि 31/01/2015, प्राप्त प्रस्तावों पर बैंक स्तर से निर्णय लिये जाने की तिथि 28/02/2015 तथा ऋणी एवं बैंक के मध्य शिकायत/भेदभाव से सम्बन्धित प्रकरण आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 को उपलब्ध कराये जाने की तिथि 31/03/2015 निर्धारित थी। अध्यक्ष उत्तर भारत कोआपरेटिव बैंक्स फेडरेशन लि0 लखनऊ के पत्र दिनांक 10.08.2015 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में गैर निष्पादित आस्तियों के ऐसे खाते जो 31 मार्च 2014 को संदिग्ध/ हानि की श्रेणी में वर्गीकृत थे इसके संबंध में नगरीय सहकारी बैंकों में लागू एक मुश्त समाधान योजना की अवधि परिपत्र संख्या सी–108/अधि0–अर्बन बैंक/ओ0टी0एस0 दिनांक 18.12.2014 के प्रस्तर–3 "समझौते की अवधि" में उल्लिखित तिथियों को विस्तारित करते हुए निम्नवत तिथियॉ निर्धारित की जाती हैं –

क– एक मुश्त समझौता के प्रस्ताव को बैंक द्वारा स्वीकार किये जाने कि तिथि	31.12.2015
ख– प्राप्त प्रस्ताव पर बैंक स्तर से निर्णय लेने की तिथि	29.02.2016
ग– बैंक एवं ऋणी के मध्य विवाद/शिकायत एवं छूट से सम्बन्धित प्रकरण आयुक्त एवं निबन्धक को उपलब्ध कराये जाने की तिथि	31.03.2016

.........2

अन्य शर्तें परिपत्र संख्या सी–108/अधि0–अर्बन बैंक/ओ0टी0एस0 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार यथावत लागू रहेंगी। योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए उक्त निर्धारित तिथियों के अनुसार योजना का कियान्वयन सुनिश्चित करें।

(किशन सिंह अटोरिया)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ ।

परिपत्र – सी–५५/अधि0 अर्बन बैंक/ओ0टी0एस0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, उ0 प्र0 को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें।
2. समस्त मण्डलीय उप आयुक्त एवं उप निबन्धक, सहकारिता, उ0 प्र0 को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराते हुए पाक्षिक प्रगति सूचना जनपदवार/ बैंकवार विवरण सहित इस कार्यालय को संलग्नक–1 में उपलब्ध करायें।
3. समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, सहकारिता, उ0 प्र0 मुख्यालय।
4. सचिव, उ0प्र0 अर्बन कोआपरेटिव बैंक फेडरेशन लि0, जायसवाल काम्पलेक्स, 6–पार्क रोड, लखनऊ।
5. उप–महाप्रबन्धक, शहरी बैंक विभाग भारतीय रिजर्व बैंक, 8–9, विपिन खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक, शहरी बैंक विभाग भारतीय रिजर्व बैंक, गारमेन्ट हाऊस, प्रथम तल, वरली मुम्बई।
7. प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।

वित्तीय सलाहकार,
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ ।